न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 39/2021

चेतराम पुत्र जयपाल जाति जाट, निवासी कुहाड़वास, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

— अपीलान्ट—

—बनाम—

सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम चेतराम अं0धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956
मुकदमा नम्बर 01/2021 निर्णय दिनांक 25.02.2021

उपस्थिति :—
1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता ————————अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, अधिवक्ता ——————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

— निर्णय — दिनांक 12.01.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.02.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम चेतराम मुकदमा नम्बर 01/2021 अं. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है — कि पटवार हल्का कुहाड़वास ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नम्बर 373 कुल रकबा 2.65 हैक्टर किस्म बजंड़—1 में से 0.015 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पक्का निर्माण कार्य कर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 की कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलान्ट के खिलाफ बेदखली के आलोच्य आदेश दिनांक 25.02.2021 को पारित किये गये है। अदालत मातहत का नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:20 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

दिनांक 11.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया जिसमें विवादित भूमि का अपने पुराने कब्जे के संबंध में विद्युत एवं जल कनेक्शन के बिल प्रस्तुत किये। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2021 में अपीलान्ट द्वारा पेश जबाब नोटिस बाबत कोई विवरण दर्ज नही किया। अपीलान्ट के विरूद्ध मौजूदा प्रकरण में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागु नही होते। जहां सद्भाविक कब्जे व किस्म जमीन का विवाद हो उस प्रकरण में किसी सद्भाविक व्यक्ति को सरसरी प्रोसेडिंग द्वारा बेदखल नही किया जा सकता है जहां सद्भाविक व कब्जे व किस्म जमीन का विवाद हो उस प्रकरण में रेगुलर कार्यवाही के द्वारा बाद शपथपूर्वक साक्ष्य ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। विवादित जमीन पर काफी लोग 50–60 वर्षो से रिहायशी मकान बनाकर आबाद है। उक्त भूमि पर आबाद व्यक्तियों को सरकारी महकमा विद्युत विभाग व जलदाय विभाग ने विद्युत एवं जल कनेक्शन दिये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पेश जबाब पर ध्यान दिये बिना ही बिना जांच एवं मौका रिपोर्ट के आलौच्य निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का काफी पुराना कब्जा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से विपरित जाकर अवैध और शून्य आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनीं गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि पटवार हल्का कुहाड़वास ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नम्बर 373 कुल रकबा 2.65 हैक्टर किस्म बजंड़–1 में से 0.015 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पक्का निर्माण कार्य कर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 की कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलान्ट के खिलाफ बेदखली के आलौच्य आदेश दिनांक 25.02.2021 को पारित किये गये है। अदालत मातहत का नोटिस प्राप्त होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:20 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

पर अपीलान्ट ने दिनांक 11.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया जिसमें विवादित भूमि का अपने पुराने कब्जे के संबंध में विद्युत एवं जल कनेक्शन के बिल प्रस्तुत किये। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2021 में अपीलान्ट द्वारा पेश जबाब नोटिस बाबत कोई विवरण दर्ज नही किया। अपीलान्ट के विरूद्ध मौजूदा प्रकरण में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागु नही होते। जहां सद्भाविक कब्जे व किस्म जमीन का विवाद हो उस प्रकरण में किसी सद्भाविक व्यक्ति को सरसरी प्रोसेडिंग द्वारा बेदखल नही किया जा सकता है जहां सद्भाविक व कब्जे व किस्म जमीन का विवाद हो उस प्रकरण में रेगुलर कार्यवाही के द्वारा बाद शपथपूर्वक साक्ष्य ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। विवादित जमीन पर काफी लोग 50–60 वर्षो से रिहायशी मकान बनाकर आबाद है। उक्त भूमि पर आबाद व्यक्तियों को सरकारी महकमा विद्युत विभाग व जलदाय विभाग ने विद्युत एवं जल कनेक्शन दिये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पेश जबाब पर ध्यान दिये बिना ही बिना जांच एवं मौका रिपोर्ट के आलौच्य निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का काफी पुराना कब्जा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से विपरित जाकर अवैध और शून्य आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट ने ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नम्बर 373 कुल रकबा 2.65 हैक्टर किस्म बंजड़–1 भूमि में से 0.015 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण कार्य कर अवैध अतिक्रमण किया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलान्ट को सुना जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जावें।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तथा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही की [illegible] विवादित भूमि पर अपीलान्ट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:20 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

कब्जा वैध साबित होता हो। ऐसी सूरत में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2021 उनवानी सरकार बनाम चेतराम मुकदमा नम्बर 01/2021 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:20 IST
Reason: SelfAttested